पशु आहार इकाइयों के निर्माण, मज़बूती के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (ए एच आई डी एफ) के अधीन, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग पशु आहार व चारा उत्पादन इकाइयों के निर्माण या मौजूदा इकाइयों को मज़बूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत ए एच आई डी एफ स्थापना की है जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

ए एच आई डी एफ के तहत परियोजनाएं, पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के आधार पर, अनुसूचित बैंकों से अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत के 90% तक ऋण के लिए पात्र हैं।

सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) परिभाषित सीमा के अनुसार, लाभार्थी का योगदान ऋण राशि का 10% हो सकता है। मध्यम उद्यमों के लिए, परिभाषित एम एस एम ई सीमा के अनुसार, लाभार्थी का योगदान 15% तक जा सकता है। अन्य श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक जा सकता है।

अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकतम अदायगी अवधि पहले संवितरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें मूल राशि के पुनर्भुगतान पर दो वर्ष की मोहलत भी शामिल है।

पशु आहार व चारा उत्पादन इकाई के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां

पात्र संस्थाएं निम्नलिखित श्रेणियों की मौजूदा पशु चारा उत्पादन इकाइयों/संयंत्रों की स्थापना या सुदृढ़ीकरण के लिए लाभ उठा सकती हैं:

- लघु, मध्यम एवं बड़े पशु आहार संयंत्र की स्थापना
- कुल मिश्रित राशन ब्लॉक बनाने की इकाई
- बाई पास प्रोटीन इकाई
- खनिज मिश्रण संयंत्र
- समृद्ध साइलेज बनाने की इकाई

मध्यम से बड़े आहार व चारा संयंत्रों के साथ पशु आहार व चारा परीक्षण प्रयोगशाला को जोड़ा जाना चाहिए। पात्र संस्थाएं गुणवत्ता वाला चारा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा आहार संयंत्र में पशु व चारा आहार परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए लाभ उठा सकती हैं।

ए आई एच डी एफ के तहत ऋण के लिए पात्र लाभार्थी

- किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई)
- धारा 8 कंपनियां
- निजी कंपनियां
- व्यक्तिगत उद्यमी

लाभ

- लाभार्थियों को निवेश के रूप में न्यूनतम 10% मार्जिन मनी का योगदान करना होगा। शेष 90% ऋण घटक अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- भारत सरकार पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज सहायता प्रदान करेगी।
- मूल ऋण राशि के लिए 2 साल की मोहलत और उसके बाद 6 साल की अदायगी अवधि होगी।

- क्रेडिट गारंटी फंड (सी जी एफ) से, उन स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण प्रत्याभूति प्रदान की जाएगी जो एम एस एम ई परिभाषित सीमा के अंतर्गत आती हैं। गारंटी कवरेज उधारकर्ता को उपलब्ध ऋण सुविधा के 25% तक होगी।

आवेदन कैसे करें?

पशु आहार व चारा उत्पादन इकाइयों की स्थापना या मौजूदा बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए निवेश करने के इच्छुक लाभार्थियों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा विकसित 'उद्यमी मित्र' पोर्टल https://ahidf.udyamimitra.in के माध्यम से पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ प्रस्ताव पेश करना होगा।

अनुसूचित बैंक, परियोजना के उचित मूल्यांकन और मंज़ूरी के बाद, आवेदन/परियोजना को ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से ब्याज सहायता के अनुमोदन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग को भेज देगा।